

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी-रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र- 03/2021

प्रार्थीया-

1. स्नेह प्रभात कंवर पत्नी भोमसिंह जाति-राजपूत , निवासी- भावला तहसील-जायल , जिला-नागौर।

बनाम

अप्रार्थीया-

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित-

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956

निर्णय

दिनांक :- 25/05/2021

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम स्नेह प्रभात कंवर ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 191 के खसरा नम्बर 201/469 , खतौनी संख्या 192 के खसरा नंबर 601/201 व खतौनी संख्या 91 के खेत खसरा नंबर 201 में सहखातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थीया के जन आधार कार्ड संख्या 4838642242, श्रमिक डायरी संख्या बी 21/2018/0073933 , आधार कार्ड संख्या 9960 5948 8739 में प्रार्थीया का सही नाम स्नेह प्रभात कंवर दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थीया को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं में परेशानी आने से प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पेशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक 16 दिनांक 30.11.2021 को मय हल्का पटवारी भावला एवं आईएलआर भावला की संयुक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीया का नाम ऑनलाईन जमांबदी सम्वत् 2073-2076 स्थायी में प्रभात कंवर सहखातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थीया के मौजा भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 191 के खसरा नम्बर 201/469 , खतौनी संख्या 192 के खसरा नंबर 601/201 व खतौनी संख्या 91 के खेत खसरा नंबर 201 में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया को गांव में वर्तमान में भी प्रभात कंवर के नाम


25/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज जन आधार कार्ड संख्या 4838642242, श्रमिक डायरी संख्या बी 21/2018/0073933 , आधार कार्ड संख्या 9960 5948 8739 में नाम स्नेह प्रभात कंवर दर्ज है। प्रार्थीया को गांव में बोलचाल में प्रभात कंवर नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तरण को दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम प्रभात कंवर दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने प्रभात कंवर तथा स्नेह प्रभात कंवर दोनों ही नाम एक ही महिला के होना बताया।

वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी भावला तहसील जायल की रिपोर्ट, जन आधार कार्ड संख्या 4838642242, श्रमिक डायरी संख्या बी 21/2018/0073933 , आधार कार्ड संख्या 9960 5948 8739 तथा मौजा भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 191 के खसरा नम्बर 201/469 , खतौनी संख्या 192 के खसरा नंबर 601/201 व खतौनी संख्या 91 के खेत खसरा नंबर 201 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थीया बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थीया की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 191 के खसरा नम्बर 201/469 , खतौनी संख्या 192 के खसरा नंबर 601/201 व खतौनी संख्या 91 के खेत खसरा नंबर 201 में प्रार्थीया का नाम प्रभात कंवर के स्थान पर स्नेह प्रभात कंवर शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 191 के खसरा नम्बर 201/469 , खतौनी संख्या 192 के खसरा नंबर 601/201 व खतौनी संख्या 91 के खेत खसरा नंबर 201 की भूमि जो कि प्रार्थीया को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तरण से प्राप्त हुई है तथा सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार जन आधार कार्ड संख्या 4838642242, श्रमिक डायरी संख्या बी 21/2018/0073933 , आधार कार्ड संख्या 9960 5948 8739 की फोटो प्रति में प्रार्थीया प्रभात कंवर एवं स्नेह प्रभात कंवर एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थीया का सही नाम जो कि नामान्तरण के समय स्नेह प्रभात कंवर के स्थान पर प्रभात कंवर दर्ज हुआ है।


 राजस्व कंवर
 (रा.स.स.) जायल

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि प्रभात कंवर एवं स्नेह प्रभात कंवर दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 191 के खसरा नम्बर 201/469 , खतौनी संख्या 192 के खसरा नंबर 601/201 व खतौनी संख्या 91 के खेत खसरा नंबर 201 में दर्ज सहखातेदार नाम प्रभात कंवर के स्थान पर वास्तविक नाम स्नेह प्रभात कंवर दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश :: —

यत् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम भावला तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 191 के खसरा नम्बर 201/469 , खतौनी संख्या 192 के खसरा नंबर 601/201 व खतौनी संख्या 91 के खेत खसरा नंबर 201 में दर्ज नाम प्रभात कंवर के स्थान पर स्नेह प्रभात कंवर दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

JAV
25/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल